

II/वि०/सि०/2018/0326

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा
जिला-रीवा, (म०प्र०)



मथुरा बढई पिता स्व० रामदुलारे बढई, उम्र-75 वर्ष, निवासी
ग्राम-मदनुआ, तहसील-रारयपुर कर्चलियान, जिला-रीवा म०प्र०

..... आवेदक/निगरानीकर्ता

विरुद्ध

- 1-मुशी बढई } उम्र-50 वर्ष
- 2-भारत बढई } उम्र-47 वर्ष
- 3-वशिष्ठ बढई } उम्र-44 वर्ष सभी के पिता रामप्रकाश बढई
- 4-धड़कन बढई } उम्र-40 वर्ष
- 5-दरोगा बढई पिता स्व० रामबहोर बढई उम्र-55 वर्ष
- 6-रामप्रकाश पिता स्व० रामदुलारे उम्र-78 वर्ष

सभी निवासी ग्राम मदनुआ, तहसील-रारयपुर कर्चलियान, जिला-रीवा
म०प्र०

..... अनावेदकगण/गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी याचिका विरुद्ध आदेश
अनुविभागीय अधिकारी त० रा० कर्चलियान
के रा० प्र० क०-23/अ 27/15-16 में
पारित आदेश दिनांक 23.11.2017

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 50 म० प्र०
भू० रा० सं० 1959

मथुरा बढई

अधिका. श्री शैलेंद्र प्रकाश
निगरानी द्वारा पेश।
19-01-18 (म)

कलक अफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

48

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक III / निग0 / रीवा / भू-रा0 / 2018 / 0526

जिला-रीवा

मथुरा बढई / मुंशी बढई

(1)	(2)	(3)
18/12/18	<p>1. आवेदक की ओर से श्री शैलेन्द्र शेषर अग्निहोत्री अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 23/अ-27/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 23.11.17 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 17.01.19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p>	